कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 5714 /14–1, हरदोई, दिनांक, 22-6- 2019

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
प्लॉट नं0–1 नेहरु इन्क्लेव गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– **हरदोई मे बिलग्राम–उन्नाव मार्ग एस0एच0–38 के कि0मी0 01–02 के मध्य बांयी पटरी ग्राम–चॉदपुर बाहर परगना व तहसील–बिलग्राम के गाटा सं0–229 व 230 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 46 पौधो के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव ज़लवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/08/2018/एफ0 सी0/29, दिनॉक–09–04–2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो विशेष सचिव (वन) उ0प्र0 शासन, बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय सहित आपको भी पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मार्ग के किनारे प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के पहुॅच मार्ग निर्माण से प्रभावित 0.08471 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 46 पौधो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। निहित शर्तो पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराने जाने के पश्चात ही प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनॉक 09–04–2019 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–01 एंव 2 (क) के क्रम में आगणित धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– 460 पौधो का रोपण एंव रोपित पौधो का 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि– (क्षति0 वृक्षा0 दर नोडल अधिकारी /मु0वन सं0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0–09–09–2016 द्वारा निर्धारित है)

= रू0–2,34,300.00।

2 (क)–प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की अपेक्षित धनराशि– क्षेत्रफल–0.08471 हे0 x 6,26,000 (प्रति हे0 दर) **= रू0–53,029.00।**

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि वांछित धनराशि रू0–**2,34,300.00** व रू0–**53,029.00** को आनलाइन पोर्टल पर **ई–चालान** के माध्यम से कैम्पा

खाते मे जमा कर आनलाईन ई–रसीद मूल मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ ही साथ सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0–2 (ख), (ग) 3 से लगायत 9 तक के समस्त बिन्दुओ के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रॉक–............./ उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम मे उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

E:\FCA-1980\HPCL Chandpur Blg.doc